# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 96/2017

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| मूलसिह पुत्र रेवतसिह जाति राजपूत निवासी गिलाकोर तहसील बालेसर जिला जोधपुर | | 1– गोरधनराम पुत्र दुर्गाराम<br>2– हेमाराम पुत्र गुमनाराम<br>3– टीकूराम पुत्र गुमनाराम<br>4– जमनादेवी पत्नी गुमनाराम<br>5– किसनाराम पुत्र बुधाराम<br>6– भेराराम पुत्र प्रेमाराम<br>7– अचलाराम पुत्र प्रेमाराम<br>8– मगाराम पुत्र प्रेमाराम<br>9– खेराजराम पुत्र प्रेमाराम<br>10–चोथी पत्नी प्रेमाराम<br>जातियान जाट निवासीगण मुकनसर (लोडता अचलावता) तहसील बालेसर, जिला जोधपुर<br>11–तहसीलदार बालेसर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 24–6–2016 जो उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 19/2016 अनवान गोरधनराम बनाम सरकार मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री भरत बूब अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 10 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 11 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक 4–10–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 10 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अपने खातेदारी खेत की पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान करवाने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मुकनसर स्थित खसरा नंबर 17/1 रकबा 63 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा नंबर 398 रकबा 8 बिस्वा गैर मुमकीन ढाणी के प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है जिसकी पत्थरगढी की जाये तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद के जरिये पत्थरगढी कराई जाये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने वर्तमान अपीलांट को सुने बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–6–2016 को पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व रेस्पो0गण के खसरा नंबर 17/1 के पडोसी खातेदार अपीलांट एवं अन्य सहखातेदारो को पक्षकार बनाये बिना तथा पडौसी खातेदारो को नोटिस जारी कर उनकी सुनवाई किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही दिन मे उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बिना जांच एवं पडौसी खातेदारो की मौजुदगी मे सीमाज्ञान करवाये ही पत्थरगढी बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि पहले सीमाज्ञान रिपोर्ट पडौसी खातेदारो की मौजुदगी मे तैयार करवाकर निर्विवादित सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी का आदेश पारित किया जाना चाहिये परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न अपने खातेदारी खसरा नंबर 14/1 ग्राम मुकनसर की प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट उक्त खसरा नंबर की भूमि का सहखातेदार है । अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24-6-2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत उक्त अपील मे यह कही नही बताया है कि अपीलाधीन आदेश से उसके अधिकार कैसे प्रभावित हो रहे है, उसके कौनसे खसरा नंबर की खातेदारी भूमि कैसे प्रभावित हो रही है, न ही अपील मीमो मे अपने खातेदारी खेत के खसरा नंबरान का उल्लेख ही किया है ।

रेस्पो0गण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बालेसर के आदेश दिनांक 27-5-16 के आदेश की पालना मे ग्राम मुकनसर के खसरा नंबर 13 रकबा 74.14 बीघा एवं खसरा नंबर 17/1 रकबा 63.07 बीघा भूमि की पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 7-6-2016 जो मौतबिरान के रूबरू तैयार कर पेश की तथा उक्त पैमाईश रिपोर्ट मे पडौसी खातेदारान के खसरे प्रभावित होना या पडौसी खातेदारो के खसरो मे दबी हुई होना या ज्यादा होने का कोई जिक्र नही होने से उक्त पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित पैमाईश के आदेश दिनांक 27-5-2016 व मौका फर्द दिनांक 7-6-2016 को कही भी चेलेंज नही किया है ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार केम्प 2016 लोडता अचलावता मे दिनांक 24-6-2016 को जो निर्णय पारित किया है, उसमे तहसीलदार बालेसर को आदेशित किया गया है कि "मुकनसर पटवार मण्डल लोडता अचलावता मे खसरा नंबर 17/1 रकबा 63.07 बीघा मे हितबद्व खातेदारो पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर

प्रदान करते हुए पत्थरगढी करे" तो अपीलांट तहसीलदार बालेसर के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने पुनः कथन किया कि अपीलांट किस आधार पर अपील लेकर आये है, स्पष्ट नही किया है न ही ठोस आधार प्रस्तुत किये है। अपीलांट के हित कैसे प्रभावित हुए है, यह भी नही बता पाये है तथा अपने खातेदारी के खेत का नक्शा भी प्रस्तुत नही किया है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से यदि अपीलांट व्यथित है तो तहसीलदार बालेसर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 10 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अपने खातेदारी खेत ग्राम मुकनसर स्थित खसरा नंबर 17/1 रकबा 63 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा नंबर 398 रकबा 8 बिस्वा गैर मुमकीन ढाणी की पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान करवाने का प्रस्तुत किया तथा अपने प्रार्थना पत्र के सलंग्न अपने खातेदारी के खेत की जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रेस एवं पैमाईश बाबत मौका रिपोर्ट दिनांक 7–6–2016 आदि पेश किये गये थे। अपीलाधीन भूमि की दिनांक 7–6–16 की पैमाईश रिपोर्ट रूबरू मोतबिरान के तैयार कर पढकर सुनाई गई तथा उपस्थित मौतबिरानो के अंगुठा निशान व हस्ताक्षर करवाये गये जिसमे किसी प्रकार का विवाद नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24–6–16 को न्याय आपके द्वार केम्प 2016 ग्राम पंचायत लोडता अचलावता मे अपीलाधीन निर्णय पारित किया है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील मे अपीलांट की मुख्य आपत्ति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पडौसी खातेदारो को सुनवाई का अवसर नही दिया और न ही पक्षकार बनाया । अपीलांट ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ अपने खातेदारी की भूमि की जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा पेश नही किया है किन्तु बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न अपने खातेदारी की भूमि की जमाबंदी की नकल पेश करते हुए कथन किया कि वे अपीलाधीन भूमि के पडौसी खातेदार है इसलिए अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट एवं अन्य सहखातेदारो को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–6–16 के द्वारा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 10 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार बालेसर को आदेशित किया गया है कि "मुकनसर पटवार मण्डल लोडता अचलावता के

खसरा नंबर 17/1 रकबा 63.07 बीघा मे हितबद्ध खातेदारो पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्थरगढी करे'।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–6–2016 मे आंशिक हस्तक्षेप करते हुए तहसीलदार बालेसर को अतिरिक्त निर्देश प्रदान किये जाते है कि उपखण्ड अधिकारी बालेसर के आदेश की पालना मे अपीलाधीन खसरा नंबरान के पडौसी सभी खसरा नंबरान के खातेदारो को नोटिस जारी कर, उनकी उपस्थिति मे पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न करें ।

उक्त निर्देशो के साथ अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 4–10–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

5/10/18

(मानाराम पटेल)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

जोधपुर